भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

रा.रा.माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

केम्प इन्दौर

R - 3924-PBR/14

दिलीपसिंह पिता स्व. श्री बंशीसिंह गौड़

निवासी– 32-A, स्कीम नं. 71, इन्दौर ——रिव्हीजनकर्ता

श्री जगदीश चौहान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 14-11-2014
को प्रस्तुत

विरुद्ध

1. साधना नांदेड़कर पति प्रकाश नांदेड़कर

निवासी– 23, साकेत नगर, इन्दौर म.प्र. 826/14-11-2014

2. सीताराम पिता गोविंददास महन्त

निवासी–- ब्राम्हण चौक, सिरपुर धार रोड़ इन्दौर ——प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के तहत अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के द्वारा स्वनिग.प्रकरण क्रमांक 02 आदेश दिनांक 25/09/2014 को निरस्त करने हेतु।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3924–अध्यक्ष / 14 दिलीप / साधना जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा किरायेदार की हैसियत से 31 वर्षों से आधिपत्य होने के आधार पर प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति होना दर्शाते हुये पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । किरायेदार प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध व्यक्ति मान्य नहीं किया जा सकता है और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनकी हितबद्धता प्रमाणित हो । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	